

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 100/22 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2022/

अनवान्

1. श्री लोगर पिता मेघा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.) मृतक
- 1/1 श्रीमती मिठदुबाई पत्नी लोगर भील निवासी मेड़ता खेडिया तहसील मावली।
- 1/2 श्रीमती सुरजदेवी पुत्री लोगर पत्नी महेन्द्र गमेती भील निवासी मेड़ता खेडिया हाल कपासन खेडा।
- 1/3 श्रीमती निर्मला पुत्री लोगर पत्नी भगवानलाल भील निवासी भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा।
- 1/4 श्री मुकेश पिता लोगर भील निवासी मेड़ता खेडिया तहसील मावली।
- 1/5 श्रीमती सीता पुत्री लोगर पत्नी कन्हैयालाल भील निवासी नामरी तहसील मावली।
- 1/6 श्री तरुण पिता लोगर भील निवासी मेड़ता खेडिया तहसील मावली।
2. श्री वेणीराम पिता रोड़ा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
3. श्री नोजीराम पिता रोड़ा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
4. श्री देवीलाल पिता भगा जी, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
5. श्री मोहनलाल पिता भगा जी, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
6. श्री लक्ष्मण पिता भगा जी, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी भगा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती उदीबाई पुत्री भगा जी पत्नी ओम जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी-तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
9. कलू पिता कालू जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
10. श्री किशन पिता कालू जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
11. मांगीबाई पुत्री कालू जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री आसू पुत्र भेरा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी- मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
2. श्री नारू पुत्र भेरा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)
3. श्री मोहन पुत्र भेरा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज.)



4. श्रीमती नाथीबाई पत्नी लोगर जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी— मेड़ता, तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
5. श्री डालू पिता भगा जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती मांगीबाई पुत्री भगा जी, पत्नी वालू जी जाति भील, निवासी ढिकली, तहसील बडगांव, जिला—उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती नारायणी पुत्री भगा जी पत्नी नोजीरामजी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी— साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला—उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती रूपा पुत्री पत्नी दयाराम जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी— पलानाकला, तहसील मावली जिला—उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती गुलाबीबाई पुत्री भगा जी पत्नी देवीलाल जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी— गुड़ली, तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
10. श्री प्रभुलाल पिता नाथू जी जाति भील, उम्र बालिग, निवासी डबोक तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
11. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी मावली, तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
12. श्रीमान पटवारी साहब पटवार मण्डल मेड़ता, तहसील मावली, जिला—उदयपुर (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 9


3. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 10

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 04.04.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मेड़ता, पटवार हल्का मेड़ता, तहसील मावली की आराजी नम्बर 1684, 1685, 1686, 1687 किता 4 कुल रकबा 0.1539 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे विपक्षी संख्या एक से पाँच के नाम 5/10 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या छः से नो के नाम 4/8 हिस्सा से दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थीगण का सजरा परिवार निम्न है :—



3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में खातेदार कन्या पिता रता भील के नाम दर्ज थी जिसके पूर्व के खसरा नं. 1021, 1022 है उपरोक्त आराजीयात के पड़ौस उगमणो (पूर्व दिशा) मंगरवा वाली सड़क, आथमणो (पश्चिम दिशा) वादीगण की जमीन, लंकाऊ (दक्षिण) मेघा का खेत तथा पीरबावजी का चौतरा, धराऊ (उत्तर) हमेरा गमेती का खेत। इन चारो पड़ौस के बीच की टुकड़ी, पूर्व आराजी सं. 1021, 1022 जिसके वर्तमान आराजी सं. 1684, 1685, 1686, 1687 की सम्पूर्ण जमीन जिसे प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी केशा, मेघा, रोडा पिता वाला जी भील ने उक्त जमीन के मालिक कन्या उर्फ कसना पिता रता एवं इनके लड़के भगा, भेरा जी भील से दिनांक 22.06.1960 को बिल एवज 350/- अक्षरे तीन सौ पचास रूपया में क्रय की जिसका बेचान नामा स्टाम्प कीमती 08/- अक्षरे आठ रूपया खातेदार कसना पिता रता एवं कसना के लड़के भगा एवं भेरा ने निष्पादित करवाया ओर मौके पर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों को विक्रित कृषि भूमि पर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया तभी से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं प्रार्थीगण करीब 62 वर्षों से उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि पर काश्त करते हुए आ रहे है, जिस पर विपक्षीगण एवं उनके किसी भी सदस्य का कोई भी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त जमीन पर विपक्षीगण संख्या एक से नो आए ओर प्रार्थीगण को कब्जा खाली करने के लिए कहा ओर कहा की जमीन उनके नाम पर खाते हो गई प्रार्थीगण ने कहा की ये जमीन तो हमारे पूर्वजो ने पहले ही खरीद रखी है तो विपक्षीगण ने कहा की जमीन नाम करवानी हो तो हमें 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपया ओर देने पड़ेगें जिस पर विपक्षी संख्या

एक से नो ने जमीन अपने नाम पर होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थीगण से 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपया ओर नकद प्राप्त कर लिए ओर प्रार्थीगण की बिना जानकारी के ही अनुचित लाभ प्राप्त कर मिथ्या दस्तावेज तैयार कर विपक्षी संख्या दस को उक्त जमीन का नुमाईशी विक्रय पत्र से बेचान कर दिया। जबकि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि पर वादीगण काबिज होकर अपने-अपने हिस्से पर पिछले 62 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करते हुए आ रहे हैं।

4. यह कि प्रार्थीगण स्वयं एवं उनके पूर्वाधिकारी अनपढ़ व्यक्ति होने से उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि को अपने नाम पर खाते नहीं करवा सके जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या एक से नो ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि विरासत से अपने नाम पर दर्ज करवा दी ओर बिना कब्जे के ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या एक, दो, तीन, पांच, छः, सात, आठ, नो ने फर्जी मुख्तियारनामा आम बनवाकर मुख्तियारधारी के जरिये एवं विपक्षी सं. चार ने स्वयं सनुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या दस को दिनांक 12.07.2022 को मिथ्या कूटरचित दस्तोवज तैयार कर नुमाईशी विक्रय पत्र से बेचान कर दी जिसका इनको कोई विधिक हक व अधिकार नहीं था विपक्षी संख्या एक से नो को भली भांति ज्ञात है कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नहीं है ओर उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि को इनके पूर्वाधिकारी पूर्व में ही प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों को बेचान कर चुके हैं एवं मौके पर प्रार्थीगण ही शांति पूर्वक काश्त कर रहे हैं फिर भी विपक्षी संख्या एक से नो ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि विपक्षी संख्या दस को नुमाईशी विक्रय पत्र से बेचान कर दी जो पश्चातवृत्ति दस्तावेज है, जो प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है, जबकि विपक्षी संख्या एक से नो को यह स्पष्ट रूप से विदित है कि उसके द्वारा बेचान की जाने वाली कृषि भूमि उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा पूर्व में ही बेचान की जा चुकी है।
5. यह कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं प्रार्थीगण का कब्जा दिनांक 22.06.1960 से निर्बाध रूप से खुले में चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर शांति पूर्वक खूले रूप में काश्त कर रहे हैं। उक्त मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा दिनांक 22.06.1960 को खरीदी गई कब्जा प्राप्त किया गया तभी से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं प्रार्थीगण काबिज होकर वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त करते हुए आ रहे हैं जिस पर करीब 62 वर्षों से खेती कर रहे हैं विपक्षीगण ने नाजायज तरीके से वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम विरासत से खातेदारी करा बेईमानी पूर्ण तरिके से अनुचित लाभ प्राप्त कर बिना कब्जे के नुमाईशी विक्रय पत्र से वादग्रस्त

आराजीयात को विपक्षी संख्या दस को बेचान कर दी है विपक्षीगण राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कराने, कब्जा करने, अन्य को बेचान करने के लिए आमादा है विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लेंगे उनको ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को जो अपूरणीय क्षति (Irreparable loss) होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी अगर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थीगण को विपक्षीगण के मुकाबले असुविधा होगी जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

6. यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25.08.2022 को प्राप्त हुआ जब विपक्षी संख्या दस मौके पर आया ओर कहने लगा की ये जमीन उसने खरीद ली है कब्जा खाली कर दो वरना एक एक को जान से मरवा दूंगा। वादग्रस्त आराजीयात को विपक्षीगण ने नुमाईशी विक्रय पत्र से बेचान करने एवं दिनांक 25.08.2022 को मौके पर कब्जे के लिए विवाद किया तभी प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से पर शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे, उपयोग—उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करें, उक्त आराजी को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस नहीं करें, उक्त आराजी कृषि भूमि में कोई नुकसान कारित नहीं करें ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी नोकर—चाकर, एजेन्ट से करावें। विपक्षी संख्या ग्यारह वादग्रस्त विक्रित आराजीयात के बाबत किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत होने पर पंजीयन नहीं करें, पटवारी साहब किसी भी प्रकार अमल दरामद उक्त जमीन के बाबत नहीं करें मोके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी फरमाई जावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 9 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी सं. 10 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद—पत्र आप न्यायालय में मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो पूर्ण रूप से मिथ्या होने से पूर्ण रूप से अवश्य ही खारिज होगा। प्रार्थीगण के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि कन्या पिता रता जी भील के नाम पर दर्ज थी, जिसे प्रार्थीगण के पूर्वाधिकार केशा, मेघा, रोडा पिता वाला भील ने जमीन के मालिक कन्या उर्फ किशना पिता रता एवं इनके लड़के भग्गा, भेरा जी भील से दिनांक—22.06.1960 को बिल एवज 350/— अक्षरे तीन सौ पचास रूपया में

क्रय की, जिसका बेचाननामा स्टाम्प किमती 8/- रुपये के स्टाम्प पर कसना एवं कसना के लड़के भग्गा, भेरा ने निष्पादित करवाया, यह कथन गलत होकर अस्वीकार है, यदि प्रार्थीगण के कथनानुसार उनके मौरूसान द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया होता तो वे उक्त क्रयशुदा भूमि का विक्रय-पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में अवश्य ही करवाते किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई भी सद्भावी प्रयास नहीं किया गया और उनके द्वारा करीब 62 वर्षों से मौन रहना उक्त तथाकथित दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न कर रहा है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि ऐसा कोई भी बेचाननामा विपक्षी संख्या-1 से 9 के मौरूसान द्वारा प्रार्थीगण के मौरूसान के पक्ष में कभी भी निष्पादित नहीं किया गया है और न ही प्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण का वादग्रस्त जायदाद एक इंच मात्र भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मुझ विपक्षी संख्या-10 प्रभुलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक-12.07.2022 से क्रय की गई है और क्रय की गई भूमि का विधिवत् विक्रय-पत्र मुझ विपक्षी संख्या 10 प्रभुलाल ने अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है और क्रय की दिनांक से आज दिनांक तक मेरे द्वारा क्रयशुदा भूमि पर मैं विपक्षी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ जिसकी सुस्पष्ट जानकारी प्रार्थीगण सहित हर खास व आम को है। मेरे पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र का दस्तावेज प्रार्थीगण के कहने मात्र से नुमाईशी नहीं हो जाता है उपरोक्त दस्तावेज के विधि की सम्यंक प्रक्रिया के अनुसरण में विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा मुझ विपक्षी संख्या-10 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया।

9. प्रार्थीगण का यह कथन कि वे तथा उनके पूर्वाधिकारी अनपढ़ होने से वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकें, अक्षरक्षः अस्वीकार है क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण अथवा उनके मौरूसान के पक्ष में कभी निष्पादित किया गया ही नहीं है तो ऐसे तथाकथित दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि कैसे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज होती यह कथन अपने आप में संदेहापसद है, जो भूमि मुझ विपक्षी द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर विधि सम्यंक प्रक्रिया के अनुसरण में पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय की गई है, वह पंजीकृत दस्तावेज प्रार्थीगण के कहने मात्र से शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं हो जाता है, यदि प्रार्थीगण को उक्त वाद से सम्बधित कोई दाद चाहिये तो उनको सर्वप्रथम सक्षम सिविल न्यायालय से विपक्षी संख्या-1 से 9 द्वारा मुझ विपक्षी संख्या-10 के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र के दस्तावेज को निरस्त करवाना पड़ेगा तभी वे दाद प्राप्ति के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के एक इंच मात्र हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है वे मात्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुझ विपक्षी संख्या-10 को अपने द्वारा क्रयशुदा भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाह रहा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

10. प्रार्थीगण का किसी भी सुरत में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, क्योंकि यदि वास्तविकता में प्रार्थीगण अथवा उनके मौरूसान द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया होता तो वे निश्चित रूप से अपने पक्ष में विक्रय-पत्र का पंजीयन करवाते, उन्होंने कोई सद्भावी प्रयास नहीं किया। मुझ विपक्षी संख्या-10 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय-पत्र के मुकाबले प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित दस्तावेज का कोई महत्व नहीं है न ही ऐसे किसी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में न्यायालय हाजा से कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है न ही सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। दिनांक-25.08.2022 को कोई वाद कारण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं उत्पन्न हुआ, जब वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं है तो उन्हें मुझ विपक्षी संख्या-10 द्वारा कब्जा खाली करने की धमकी देने का कथन अपने आप में अस्वीकार्य है। प्रार्थीगण मात्र मुझ विपक्षी संख्या-10 को तंग व परेशान कर मेरे द्वारा क्रयशुदा भूमि को जबरन ताकत के बल पर हडपना चाहते हैं, इसी गरज से उन्होंने यह मिथ्या वाद कारण अंकित किया है।
11. विशेष-कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण न्यायालय आपमें न्याय प्राप्ति हेतु स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं, उन्होंने जानबुझकर आधे-अधुरे तथ्यों पर आधारित वाद एवं प्रार्थना-पत्र आपमें प्रस्तुत किया है जो इसी स्तर पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त भूमि को प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् लेकर भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने की प्रार्थना की है, जबकि कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। विपक्षी संख्या-1 से 9 द्वारा मुझ विपक्षी संख्या-10 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख शून्य नहीं होकर शून्यकरणी दस्तावेज है, अतः जब तक प्रार्थीगण उपरोक्त दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा देवे तब तक प्रार्थीगण को न्यायालय आपमें वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।
12. यह कि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा-17 व 49 के अनुसार कोई भी दस्तावेज जो 100/-रूपये या 100/- रूपये से अधिक के प्रतिफल के बाबत् निष्पादित किया गया है, ऐसे दस्तावेज का कानूनन पंजीयन होना अनिवार्य है, इस आधार पर भी प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी अपंजीकृत होने से ऐसे किसी तथाकथित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा बताये जा रहे तथाकथित दस्तावेज के आधार पर न्यायालय हाजा को उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण की सूनवाई का

क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज पर आधारित प्रकरण की सूनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या-10 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र मय विशेष कथन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 10 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 20221 (2) Page 1439, RRT 2021 (2) Page 1067, RRT 2022 (2) Page 1118, RRT 2018 (1) Page 654, RRT 2021 (2) Page 1033, RRT 2018 (1) Page 175, RRT 2022 (2) Page 1415, RRT 2022 (2) Page 1418, RRT 2024 (1) Page 459, RRT 2021 (2) Page 27, RRT 2019 (1) Page 745, RRT 2019 (1) Page 332, RRT 2020 (2) Page 1081, RRT 2020 (2) Page 1070, RRT 2020 (2) Page 756 पेश किये।
14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—
 1. प्रथम दृष्टया मामला— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 8 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2022 से विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 10 को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2081 दिनांक 02.08.2022 प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड थी। खातेदारो द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 10 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 10 उक्त भूमि का खातेदार हो चुका है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।
 2. अपूरणीय क्षति— चूंकि प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि 22.06.1960 को बिल एवज 350 रूपये में क्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प किमती 8 रूपये पर खातेदार कसना, पिता रता एवं कसना के लड़के भगा एवं भेरा ने निष्पादित करवाया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नहीं करवाई। प्रार्थी स्वयं के कथनानुसार प्रार्थीगण द्वारा 62 वर्ष

पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जा सकेगा। वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 10 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 10 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

3. सुविधा का संतुलन – चूंकि वाद वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार नहीं है। विपक्षी संख्या 10 खातेदार काश्तकार है। यदि खातेदार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने हिस्से की भूमि पर लोन, रहन भी नहीं ले सकता है तथा ना ही उक्त भूमि का बेचान कर सकता है जिससे उसे अपने परिवार के पालन पोषण हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम मेड़ता पटवार हल्का मेड़ता तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 309 पर दर्ज आराजी नम्बर 1684, 1685, 1686, 1687, 1708, 1710, 1712 किता 7 कुल रकबा 0.2592 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 9 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। जो नामान्तरकरण संख्या 2081 दिनांक 02.08.2022 से विक्रय का विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि 22.06.1960 को बिल एवज 350 रुपये में क्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प किमती 8 रुपये पर खातेदार कसना, पिता रता एवं कसना के लड़के भगा एवं भेरा ने निष्पादित करवाया। यदि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नहीं करवाई। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा 62 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जा सकेगा। वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 10 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 10 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने वाले क्रेता को पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रथम

दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुए है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली